कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.inPhone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक—556 /12-1: देहरादूनः दिनांकः 11 सितम्बर, 2025

सेवा में,

वन सरंक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः— मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा—415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रूईसाण तक मोटर मार्ग के 7.950 हे0 नव निर्माण गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UK/Road/146251/2021)

सन्दर्भः— आपके कार्यालय की पत्र संख्या—271/12—1 दिनांक 02.8.2025 के कम में।

महोदय,

अवगतनीय है कि आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी 04 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या/उत्तरालेख इस कार्यालय को प्रेषित किया किया गया है, जिसे सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है। चूंकि प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या—73 से 76 पर संलग्न की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का आंकन पुराने दरों के आधार पर किया गया है। प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा जारी आदेश के कम में ~~जबकि~~ मार्च, 2025 में नयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धित धनराशि निर्धारित की गयी है, जिसके आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण CA seheme नयी दरों के अनुसार तैयार कर संलग्न कर प्रेषित की जानी आवश्यक है।

अतः नयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण CA seheme नयी दरों के अनुसार तैयार कर शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण का तद्नुसार परीक्षण कर प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्या : 556 /12-1/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

Gen Lett